

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13 (29) खा.वि./ आवंटन/ 2024 – 02560

जयपुर, हस्ताक्षरित दिनांक

समस्त,
जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान |

विषय :- माह अक्टूबर, 2026 से माह दिसम्बर, 2026 तक विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में
डोर-टू-डोर सर्वे अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में |
प्रसंग :- माननीय खाद्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिननक 24.09.2026 को
आयोजित विभागीय प्रदत्त निर्देशों के सम्बन्ध में |

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर शहरी क्षेत्रों में ऐसे वार्ड जिनमे 80 % से अधिक जनसंख्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित है, में विभाग द्वारा माह अक्टूबर, 2026 से माह दिसम्बर, 2026 तक डोर-टू-डोर अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है | इस अभियान में ऐसे व्यक्तियों का चिन्हिकरण किया जाएगा को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नियमों के अन्तर्गत Exclusion श्रेणी में आते है तथा इन्हें 'गिव-अप' हेतु प्रेरित किया जाकर इन्हें सूची से हटाया जाने का कार्य किया जाएगा | साथ ही ऐसे परिवार को भी चिन्हित किया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता रखते है तथा वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूची में सम्मिलित नहीं है, ऐसे परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूची में जोड़ने का कार्य किया जाएगा |

इस अभियान को 'गिव-अप' अभियान का द्वितीय चरण कहा जाएगा तथा इसमे उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न कार्य किये जाएंगे :-

1. चिन्हित अपात्र लाभार्थियों परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूची से 'गिव-अप' कराया जाएगा |
2. ऐसे परिवार द्वारा 'गिव-अप' नहीं करने की दशा में उन्हें नोटिस जारी कर कार्यवाही पूर्ण की जाएगी |
3. चिन्हित पात्र व्यक्ति / परिवार जिनके नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूची में नहीं है, उनसे आवेदन कराए जायेंगे |

Signature valid

Digitally signed by Sunil Poonia
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2026.09.30 17:21:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24754144
M e-Sign



उपरोक्त डोर-टू-डोर अभियान के दौरान समस्त प्रवर्तन अधिकारी / प्रवर्तन निरीक्षक तथा जिला रसद अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर इन कार्यों का संपादन करेंगे तथा फील्ड विजिट की जीपीएस लोकेशन व तारीख युक्त फोटो संभाग हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारी को प्रतिदिन प्रेषित करेंगे। प्रत्येक ऐसे वाडों का सर्वे 02 दिवस में पूर्ण किया जाएगा।

इस अभियान के दौरान जिला रसद अधिकारी / प्रवर्तन अधिकारी प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा न्यूनतम निम्न दिवसों के लिए सर्वे का कार्य किया जायेगा :-

1. जिला रसद अधिकारी द्वारा माह में न्यूनतम 08 दिवस मौके पर सर्वे का कार्य किया जाएगा।
2. प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक माह में न्यूनतम 12 दिवस मौके पर सर्वे का कार्य किया जाएगा।
3. नये प्रवर्तन निरीक्षक माह में न्यूनतम 15 दिवस मौके पर सर्वे का कार्य किया जाएगा।

उपरोक्त निर्देशों की अक्षरतः पालना सुनिश्चित की जाए।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न : जिलेवार वाडों की सूचना जिसमे 80 % से अधिक NFSA में सम्मिलित है।

(सुनील पूनियां)

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
3. व. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त,
4. समस्त, जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. समस्त, विभागीय अधिकारीगण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रिका।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Poonia
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2026.09.30 17:21:55 IST
Reason: Approved